Directorate of Urban Administration and Development
Government of Madhya Pradesh

Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal

No. /UADD/SC/2017/ 1898 Bhopal, Date 30/10/2017

To,

The Director (Smart Cities)
Ministry of Urban Development
Government of India
Nirman Bhawan, New Delhi

Subject:- Release of first instalment of the Central share for Sagar- winning city of Madhya Pradesh under Smart City Challenge Round-3

This is with reference to office memorandum no. K-15016/157/2015-SC-I dated 28th June 2017. The following documents are enclosed herewith:-

1. State Government Order no. F 10-22/2016/18-2 dated 10th March 2016- Approval of the Constitution of SPV.
2. Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies, for Sagar Smart City Ltd.
3. Bank Details of SPV Sagar:-

   a) Name of the Account:- **Sagar Smart City Ltd.**
   b) A/C No.- **917010066126366**
   c) IFSC Code- **UTIB0000612**
   d) Branch - **Axis Bank Limited, Sagar, M.P**

Request you to kindly release the first instalment of the Central share for Sagar Smart City Ltd.

Encld.:- As above.

30/x/17

Deputy Director &
Nodal Officer(Smart Cities)
Urban Administration and Development

No. /UADD/SC/2017/ 1898(A) Bhopal, Date 30/10/2017

Copy to:-

1. Director(Technical), Urban Administration and Development for kind information.

30/x/17

Deputy Director &
Nodal Officer(Smart Cities)
Urban Administration and Development

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 10 मार्च, 2016

क्रमांक F10-22/16/18-2:: भारत सरकार द्वारा लागू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. राज्य के सात शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना) के लिये स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) के गठन एवं भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित करार ज्ञापन (Memorandum of Agreement-MOA) तथा योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जावे।
2. भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित एसपीवी की प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना का गठन किया जावे (संलग्न परिशिष्ट-अ)।
3. स्मार्ट सिटी योजना का संचालन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (MPUDCL) के माध्यम से किया जावे।
4. स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार और दायित्व एसपीवी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।
5. जिन प्रकरणों में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो, उन्हें स्मार्ट सिटीज के लिये राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) को अधिकृत करना तथा एचपीएससी द्वारा आवश्यकता अनुसार एसवीपी को प्रत्यायोजन किया जावे।
6. पर्याप्त राजस्व प्रवाह की व्यवस्था के लिये एसपीवी अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वयं सक्षम होगी।
7. एसपीवी की परामर्शी समिति के अध्यक्ष के पद पर संबंधित नगरीय निकाय के माननीय महापौर को मनोनीत किया जावे।
8. प्रति शहर की एसपीवी के लिये न्यूनतम पूँजी आधार सुनिश्चित करने हेतु वर्षवार बजट प्रावधान निम्नानुसार होंगे:-

वर्ष	केन्द्र सरकार का योगदान	राज्य सरकार का योगदान	कुल प्रावधान
2015-16	196 करोड़	200 करोड़	396 करोड़
2016-17	98 करोड़	100 करोड़	198 करोड़
2017-18	98 करोड़	100 करोड़	198 करोड़
2018-19	98 करोड़	100 करोड़	198 करोड़
योग	490 करोड़	500 करोड़	990 करोड़

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के तीन शहर भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर का चयन स्मार्ट सिटी हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में तीन शहरों के लिये

10/3/16

कुल राशि रू. 1188 करोड़ (रू. 396 करोड़ प्रति शहर के मान से) अग्रिम राशि रू. 06 करोड़ (रू. 2 करोड़ प्रति शहर के मान से) घटा कर कुल राशि रू. 1182 करोड़ का प्रावधान तीन शहरों के लिये किया जावे तथा आगामी वर्षों में प्रति शहर के मान से राशि रू. 198 करोड़ का प्रावधान किया जावे। प्रदेश के अन्य चार शहरों (ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना) का भी चयन अगले चरण में हो जाने के उपरांत उपरोक्तानुसार चारों शहरों के लिये उक्त प्रावधान प्रतिवर्ष बजट अनुमानों में किया जावे।

9. योजना लागत को पूर्ण करने के लिये एसपीवी को अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा निकायों को आवश्यकता होने पर शासकीय प्रतिभूति दी जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृष्ठां.क्र.एफ- 10-22 /2016/18-2
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग/राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल
4. संभाग आयुक्त, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा
5. कलेक्टर, जिला भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल
7. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल म.प्र.
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना

10/3/16
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट–अ

एसपीवी की संरचना

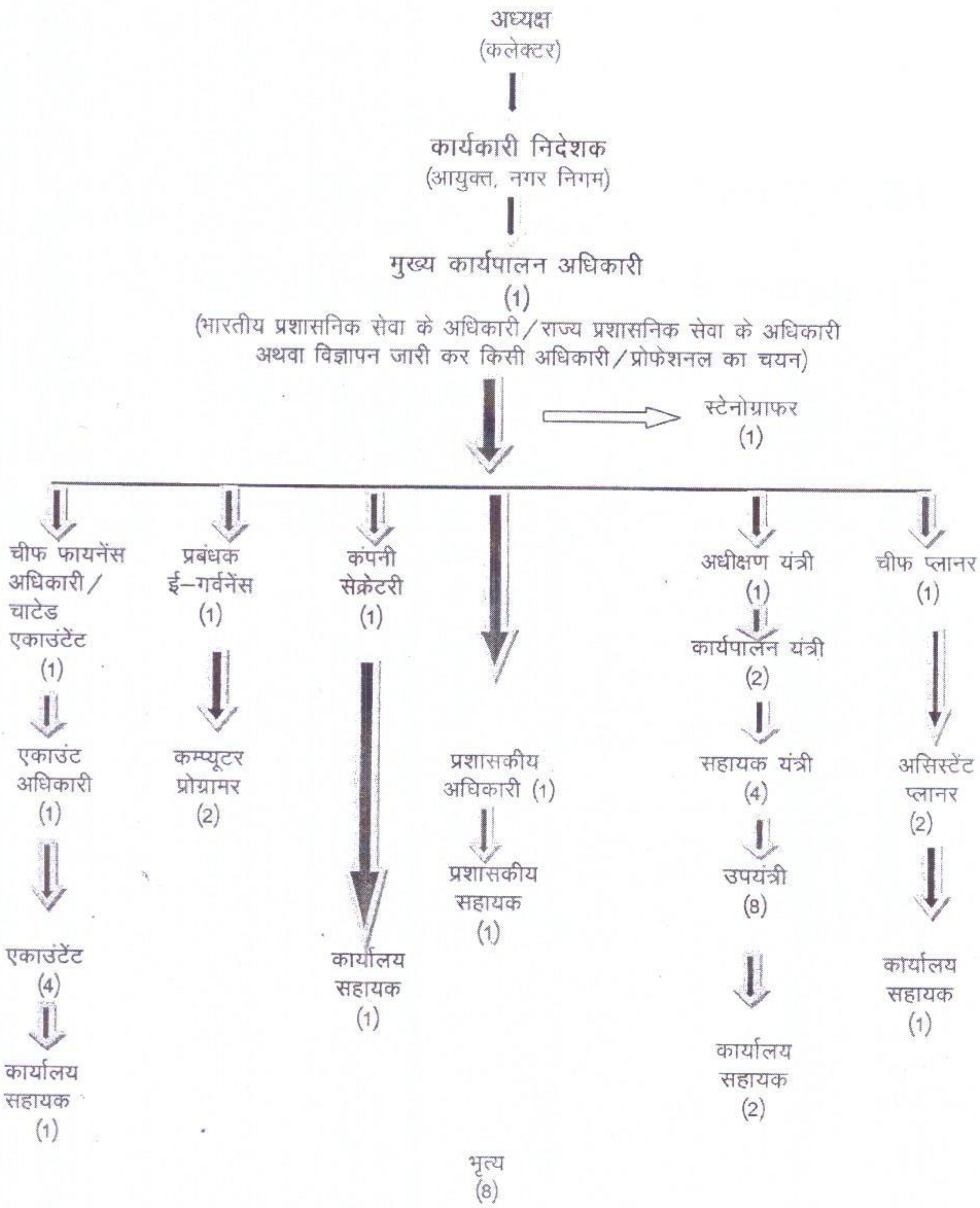

नोटः–एसपीवी के पदों की पूर्ति आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास सह स्टेट मिशन डायरेक्टर, स्मार्ट सिटी के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में होगी।

वेतन विवरण

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान		संविदा नियुक्ति पर वेतन
			पे–बेंड	ग्रेड–पे	
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	37400–67000	8700–8900	100000.00
2.	मुख्य वित्तीय अधिकारी	1	15600–39100	6600–7600	70000.00
3.	लेखाधिकारी	1	9300–34800	4200–4800	40000.00
4.	लेखापाल	4	9300–34800	3200–4200	30000.00
5.	कंपनी सेक्रेटरी	1	15600–39100	6600–7600	70000.00
6.	प्रशासकीय अधिकारी	1	15600–39100	5400–7600	45000.00
7.	कार्यालय प्रबंधक	2	9300–34800	3200–4200	30000.00
8.	कार्यालय सहायक	5	5200–20200	1300–1900	15000.00
9.	चार्टेड एकांउटेंट	1	15600–39100	6600–7600	70000.00
10.	अधीक्षण यंत्री	1	15600–39100	6600–7600	60000.00
11.	कार्यपालन यंत्री	2	15600–39100	6600–7600	50000.00
12.	सहायक यंत्री	4	15600–39100	5400–7600	45000.00
13.	प्रबंधक ई–गर्वनेंस	1	15600–39100	6600–7600	50000.00
14.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	2	9300–34800	4200–4800	30000.00
15.	उप यंत्री	8	9300–34800	3200–4200	30000.00
16.	चीफ प्लानर	1	15600–39100	6600–7600	60000.00
17.	असिस्टेंट प्लानर	2	15600–39100	5400–7600	45000.00
18.	स्टेनोग्राफर	1	9300–34800	3200–4200	30000.00
19	भृत्य	8	5200–20200	1300–1900	12000.00